myneta.info Madhya Pradesh Election Watch

ADR Association for Democratic Reforms

प्रेस नोट

30 सितम्बर 2013

भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली आधारित इस व्यवस्था को स्वच्छ, पारदर्शी और भ्रष्टाचार से मुक्त करने के मकसद से मध्यप्रदेश इलेक्शन वॉच का गठन किया गया है। यह राष्ट्रीय स्तर पर गठित नेशनल इलेक्शन वॉच की मध्यप्रदेश इकाई है। मध्यप्रदेश इलेक्शन वॉच ने कुछ समय पहले मध्यप्रदेश के सभी राजनीतिक दलों को पत्र (संलग्न)लिखकर उनसे आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों को राज्य के आगामी विधानसभा चुनाव में टिकट न देने का अनुरोध किया था। आगामी विधानसभा चुनाव देखते हुए अगली प्रक्रिया के रूप में मध्यप्रदेश इलेक्शन वॉच ने एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के साथ मिलकर 2008 के विधानसभा चुनाव में खड़े होने वाले 3179 उम्मीदवारों में से 2965 उम्मीदवारों द्वारा हलफनामे का विश्लेषण किया है। यह विश्लेषण समस्त उम्मीदवारों, चुने गए विधायकों और राज्य में मंत्री बने विधायकों के तीन अलग-अलग स्तरों पर किया गया है। हलफनामे में दिए गए आपराधिक मामलों में से कितनों में अदालत का फैसला आया है और कितने मामले लंबित हैं| इसकी अद्यतन जानकारी अभी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है। इसलिए हम 2008 के विधानसभा चुनावों में प्रत्याशियों द्वारा दिए हलफनामों के अनुसार उनकी आपराधिक पृष्ठभूमि का विश्लेषण आपके सामने रख रहे हैं।

2008 के विधानसभा चुनाव के प्रत्याशी :

- विश्लेषण में शामिल 2965 उम्मीदवारों में से 447 के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज थे |
- कांग्रेस के 217 उम्मीदवारों में से 68 (31 प्रतिशत), भाजपा के 216 में से 48 (22 प्रतिशत) तथा बसपा के 207 में से 41 (20 प्रतिशत) उम्मीदवार आपराधिक पृष्ठभूमि वाले थे।
- विश्लेषण में शामिल 2965 उम्मीदवारों में से 257 (9 प्रतिशत) के खिलाफ हत्या, अपहरण, डकैती, फिरौती वसूलने और बलात्कार जैसे गंभीर आपराधिक मामले दर्ज थे। इसके बावजूद कांग्रेस ने ऐसे 33 उम्मीदवारों (15 प्रतिशत) को, भाजपा ने 22(10 प्रतिशत) और बसपा ने 26 (13 प्रतिशत) को टिकट दिया।

2008 के विधानसभा के लिए चुने गए आपराधिक छवि वाले उम्मीदवार, यानी विधायक :

- मध्यप्रदेश विधानसभा में चुनकर आए 230 में से केवल 219 विधायकों का विश्लेषण किया गया। 9 के शपथ पत्रों का विश्लेषण इसलिए नहीं किया जा सका, क्योंकि या तो वे अधूरे थे, या फिर उनके भेजे दस्तावेजों की स्कैन कॉपी धुंधली थी। वर्तमान में केवलारी और नीमच की 2 सीटें खाली हैं।
- 219 विधायकों में से 55 (25 प्रतिशत) के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। दलगत रूप से कांग्रेस के 62 में से 21 विधायकों (34 प्रतिशत) पर,भाजपा के 142 विधायकों में से 28 (20 प्रतिशत) पर तथा बसपा के 7 विधायकों में से 3 (43 प्रतिशत) के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं।
- जिन 55 विधायकों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं, उनमें से 25 विधायकों (11 प्रतिशत) पर गंभीर आपराधिक मामले हैं। इनमें भाजपा के 11 (8 प्रतिशत) , कांग्रेस के 9 (15 प्रतिशत) और बसपा के तीन विधायक (43 प्रतिशत) हैं।

मंत्री बने विधायक :

- चुने गए विधायकों में से मंत्री बने 31 विधायकों में से 5 के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें से भी 2 मंत्रियों पर गंभीर आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं |

Madhya Pradesh Election Watch

Association for Democratic Reforms

उपरोक्त सन्दर्भ में हमने मध्यप्रदेश के विभिन्न राजनीतिक दलों को पत्र लिखकर आपराधिक छवि वाले उम्मीदवारों को टिकट न देने का अनुरोध किया है। मध्यप्रदेश इलेक्शन वॉच लोगों, खासतौर पर आम मतदाताओं को जागरूक बनाने और उन्हें स्वच्छ छवि वाले उम्मीदवार की पहचान के प्रति सजग बनाने के लिए एक प्रक्रिया चला रहा है, ताकि वे पूरी जागरूकता के साथ मतदान के दौरान अपने विकल्प का सूचनाप्रद (Informed) तरीके से चुनाव कर सकें।

हम मतदान के दौरान, सभी उम्मीदवारों को खारिज कर सकने का अधिकार मतदाताओं को देने वाले सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का भी स्वागत करते हैं जिसमें इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीनों में None of The Above (NOTA) बटन की व्यवस्था लागू करने को कहा गया है। हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लोकतंत्र की मजबूती की दिशा में स्वागतयोग्य कदम मानते हैं। साथ ही हमारा मानना है कि इस फैसले के अमल को लेकर अभी भी कई तरह की शंकाएं हैं, जिन्हें दूर करने के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देशों की जरूरत है। हम चुनाव आयोग के इस कथन का भी स्वागत करते हैं, जिसमें कहा गया है कि उम्मीदवारों के प्रत्येक हलफनामे की प्रामाणिकता जांची जाएगी।

हमारी मांगें

- हम मानते हैं कि राजनीति से जुड़े लोगों पर आपराधिक मामले दर्ज करने के पीछे राजनीतिक असहमति भी एक प्रमुख कारण हो सकती है। इसलिए हमारा मानना है कि राजनीतिक या वैचारिक असहमति जैसे मामलों के विश्लेषण के लिए, भारतीय दंड संहिता या आपराधिक दंड प्रक्रिया संहिता के दायरे से बाहर, एक स्वतंत्र कारगर व्यवस्था होनी चाहिए। जिसमे जनसंघर्ष और जनमुद्दों या राजनीतिक असहमतियों के चलते किये गए कामों को अपराध की श्रेणी को अलग से परिभाषित किया जाए।
- उपरोक्त संदर्भ में हमारी मांग यह भी है कि चुने गए सांसदों, विधायकों के लिए अनिवार्य रूप से यह व्यवस्था लागू की जाए कि वे हर साल अपनी संपत्ति के साथ साथ अपने ऊपर दर्ज/लंबित अदालती मामलों की स्थिति का अद्यतन ब्यौरा भी संसद एवं विधानसभा में प्रस्तुत करें, साथ ही यह ब्यौरा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हो।
- लोकतंत्र के प्रहरी के रूप में चुनाव की पूरी प्रक्रिया के दौरान मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका है। हम मीडिया के सभी साथियों से अनुरोध करते हैं कि वे चुनाव प्रक्रिया में शुचिता और नैतिकता की स्थापना और आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों को संसद या विधानसभा में पहुंचने से रोकने के लिए सक्रिय भूमिका निभाएं और चुनाव के दौरान जनता को ऐसे लोगों के बारे में पूरी तथ्यात्मक जानकारी दें। ताकि जनता मतदान के समय विवेकपूर्ण निर्णय कर सके।

  हम 2008 के विधानसभा चुनावों में चुने गए विधायकों की संपत्ति का विश्लेषण भी कर रहे हैं। आने वाले दिनों में हम इसे भी साझा करेंगे।

अरुण गुर्टू गिरीश उपाध्याय अब्दुल जब्बार राकेश दीवान रोली शिवहरे
9425466461

मनोज कुमार सचिन जैन चिन्मय मिश्र प्रशांत दुबे